(4)

Rcms 2018/00004

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 01/2018 (विविध प्रार्थना पत्र)

उनवान

मदनलाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(अप्रार्थी)

प्रकरण संख्या : 02/2018 (विविध प्रार्थना पत्र)

उनवान

रमेशचन्द्र आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा (अप्रार्थी)

प्रकरण संख्या : 03/2018 (विविध प्रार्थना पत्र)

उनवान

चतुर्भुज आत्मज देवलाल जाति धाकड निवासी गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा मृतक कायम मुकामान

1. पुष्पादेवी पत्नी स्व0 चतर्भुज
2. मदनलाल आत्मज स्व0 चतर्भुज
3. कृष्ण मुरारी आत्मज स्व0 चतर्भुज
4. रमेश चन्द आत्मज स्व0 चतर्भुज
5. जगदीश आत्मज स्व0 चतर्भुज जाति धाकड निवासीगण ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा (अप्रार्थी).

प्रकरण संख्या : 04/2018 (विविध प्रार्थना पत्र)

उनवान

कृष्णमुरारी आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी गणेशखेडा तहसील

पीपल्दा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा (अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोपाल दत्त शर्मा (अभिभाषक प्रार्थी)
2. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)

प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थी की आराजी मे से कम की गई कटौती को निरस्त करने हेतु

निर्णय दिनांक : 08.01.2020

1. उपरोक्त चारो प्रकरण के तथ्य एक ही होने से एक साथ निर्णित किए जा रहे है । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा मे स्थित आराजीयात के खातेदार कृषक है । उक्त आराजी पर भू सुधार कार्य के विरूद्व राज0 उच्च न्यायालय मे रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमे प्रार्थी को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ तथा प्रार्थी की आराजी पर केचमेन्ट विभाग द्वारा कब्जा नही लिया गया तथा भू सुधार कार्य नही करने के बावजूद भी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी मे से अवैध रूप से कटौति करते हुए नये खसरा नम्बर कायम किये गये । जिसकी पालना मे तहसीलदार द्वारा यह रकबा कम कर दर्ज किया गया है । केचमेन्ट मे कटोती उसी अवस्था मे की जा सकती है जबकि भूमि पर भू सुधार कार्य किया गया हो तथा रास्ता व ड्रेन व धोरा कायम करते हुए भूमि वापिस संभलाई गई हो । प्रार्थी की भूमि मे न तो रास्ता कायम किया, न ही ड्रेन व धोरा कायम नही की है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कटौती के आदेश निरस्त किये जाकर पूर्व मे दर्ज आराजी के अनुसार ही आराजी प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

2. उपरोक्त चारो प्रकरण मे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.1995 से अमीन की रिपोर्ट अनुसार केचमेन्ट होने व सामान्य कटौती करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया । इस न्यायालय के निर्णय दिनाक 27.10.95 से अप्रसन्न होकर उपरोक्त चारो प्रार्थीगण द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 30.12.98 से चारो अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर चारो प्रकरण में केचमेन्ट विभाग से आवश्यक व सुसंगत रिकार्ड प्राप्त कर तथा इस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर कि विवादग्रस्त भूमि पर केचमेन्ट हुआ अथवा नही, नियमानुसार निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

3. माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय दिनांक 30.12.98 की पालना मे तहसीलदार पीपल्दा से वादग्रस्त आराजी मे केचमेन्ट हुआ या नही के संबंध मे रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार पीपल्दा के पत्र क्रमांक/भू0अ0/792 दि0 13.05.2011, 733 दि0 13.05.2011, 3766 दि0 19.12.2019 व 3765 दि0 19.12.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

4. वकील प्रार्थीगण व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने उपरोक्त चारो प्रकरण की बहस मे जाहिर किया कि प्रार्थीगण की आराजी पर भू सुधार कार्य नही हुआ है तथा मौके पर प्रार्थीगण की किसी आराजी को केचमेन्ट हेतु प्रार्थी से नही ली गई है । केचमेन्ट मे कटौती उसी अवस्था मे की जा सकती है जबकि भूमि पर सुधार कार्य किया गया हो तथा ड्रेन व धौरा कायम करते हुए भूमि वापस संभलाई गई हो । मौके पर भी प्रार्थी पूर्व के अनुसार यानि कटोती के पूर्व की आराजी पर काबिज चला आ रहा है । अतः कटौती के आदेश निरस्त किये जाकर पूर्व मे दर्ज आराजी के अनुसार ही आराजी प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस मे जाहिर किया कि पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.12.2019 से स्पष्ट होता है कि ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा मे केचमेन्ट हुआ व ड्रेन व धोरे खोदे गये केचमेन्ट के नक्शे मे प्लानिंग केचमेन्ट अनुसार हो रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

7 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 30.12.98 से चारों अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर चारों प्रकरण विवादग्रस्त भूमि पर केचमेन्ट हुआ अथवा नही, की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किए गये है । पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार पीपल्दा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.12.2019 से स्पष्ट है कि ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा भू सुधार कार्य किया गया है । ड्रेन व धोरे खोदे गये है । राजस्व रिकार्ड व नक्शा केचमेन्ट के अनुरूप ही है । परन्तु केचमेन्ट का नक्शा अत्यधिक क्षतिग्रस्त व जीर्ण क्षीर्ण है । वादग्रस्त आराजी मे केचमेन्ट कार्य हो गए है । केचमेन्ट के नक्शे मे प्लानिंग केचमेन्ट अनुसार हो रहे है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चारो प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा